(A5)

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, CIRCUIT BENCH LUCKNOW.

....

Registration O.A. No. 5 of 1989

Kripa Shanker Awasthi ... ... Applicant.

Versus

Union of India
and others ... ... Respondents.

&

Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.
Hon'ble Mr. K. Obayya, Member (A)

(By Hon. Mr.Justice U.C. Srivastava, V.C.)

By means of this application, the applicant has prayed that the respondents are directed to pay a sum of Rs.2,20,840/-, being pension and compensation on account of non-payment by the General Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur. The applicant was appointed as Assistant Station Master in the year 1956 and was promoted to the post of Station Master. The applicant has been retired from service on 9.11.1984 by the authorities concerned and being aggrieved of the same, he preferred a writ petition before the High court of Lucknow Bench praying that he was entitled to get Rs. 1100 as pension and his own contribution provident fund, L.I.C. and gratuity etc amounted to Rs. 80,000/- at the time, the illegal retirement order was passed, and this writ petition by operation of law, has been transferred to this Tribunal and is registered as T.A. No. 1896 of 1987.

2. The respondents have refuted the claim of the applicant and have stated that the applicant was retired from service on 9.11.1984 voluntarily on his own request as per Memo dated 30.10.1984. Accordingly, settlement forms for settlement of his post retirement benefits,

Contd ...2p/-

were duly sent to him through Welfare Inspector at Pauta but he was not found at Pauta. Sri V.N. Trivedi, Welfare Inspector again visited Brahamvart (Kanpur to assist the applicant in filling the said settlement forms on 17.12.1985 but the applicant flatly refused to fill in and said that he has already filed a case before the Labour Court at Kanpur. During the pendency of the writ petition before the High Court of Lucknow Bench, to this effect, the applicant filed O.A.No. 597 of 1986 to this Tribunal concealing the fact that he has earlier filed a writ petition which is still pending. However, the said application is dismissed on 17.5.1987. Meanwhile, the said writ petition was also transferred to this Tribunal and registered as T.A. No. 1896 of 1987 which is still pending but since the same matter has already been adjudicated upon in O.A. No. 597 of 1986, which was dismissed, the said T.A. No. 1896 of 1987 is not maintainable being barred by res-judicata.

3. Accordingly, this application is dismissed and the other connected applications in which certain pensionary benefits have been claimed will be decided seperately. No order as to costs.

Member(A) Vice-Chairman

Dated: 18.5.1992

(n.u.)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
CIRCUIT BENCH, LUCKNOW

ORDER SHEET

OA 5/89 L

REGISTRATION No. ______ of 198 .

APPELLANT
APPLICANT ________________

VERSUS

DEFENDANT
RESPONDENT ________________

Serial number of order and date	Brief Order, Mentioning Reference if necessary	How complied with and date of compliance
28.3.89	Hon D. S. Mishra AM For orders see orders of date passed in TA No. 1896/87 (T) [signature] 2/8	OR Case is submitted for hearing as ord by court alo with TA N 1896/87
	13.7.89 Hon. D. K. Agrawal - JM None for the applicant. Sri Arjun Bhargawa appears on behalf of union of India, he wants time to file Counter affidavit, allowed. Let counter affidavit be filed within 4 weeks hereof. Rejoinder within 2 weeks thereafter. List it for final hearing on 21/8/89 [signature] Member (J.)	OR notice issue [signature] 30.6.89 OR No notices have been returned, no counter has filed so far. Submitted for order. [signature] 12/7 OR No reply till submitted for order 2/9

hy

O.A 5/89 (L)

(83)

20-4-90. Sri Atul Keerly learned counsel for the applicant is present. No sitting adjourned to. 16-11-90

16.11.90 No sitting Adj to 9.1.91.

OR No RA filed S.F.H. 13/11/90 7/1/90

8.7.91 Hon. Mr. S. N. Prasad J.M.

Case called out several times at intervals. None appears on behalf of either parties. List for final hearing on 18.9.91

J.M.

9.1.91 D.R.

Both the parties are present today. ~~C/R files Counter today~~ Applicant to file Rejoinder by 25/2/91.

18.9.91 Hon Mr Justice ... VC
Hon Mr. A B Gorthi AM

List alongwith O A No 1896/86 on 25-11-91

AM VC

19/3 Rej

25/2/91 D.R.

Both the parties are absent today. Applicant did not file rejoinder till today. He is ordered to file it, by 19/3/91.

25/11/91 No sitting adj to 4.12.91

4.12.91 No sitting adj to 9.1.92

9.1.92 No sitting Adj to 13.3.92

(A4)

O.A. 5/89.

5.5.92. Hon'ble Mr. Justice U.C.Srivastava- V.C.

In the morning the case was called out and by that time the counselfor the applicant was present and he was asked to wait for some time, but ~~in a very short time~~ soon thereafter he left the court without informing the court. It appears that earlier a case connected to this case is already fixed before the division bench for hearing. This case shall also be ~~consolidated and~~ be listed along with T.A. No. 1896/86 in O.A. no. 597/86 before the Division Bench on 18.5.92.

(DPS)

V.C.

(27)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,

ADDITIONAL BENCH, LUCKNOW.

OA 5 of 89(L)

Principal Bench - New Delhi
Additional Bench - Allahabad,
Circuit Bench - Lucknow.

BETWEEN

Kripa Shanker Awasthi --- Applicant

Versus

Union of India & others. --- Respondents.

INDEX

S.No.	Description of papers	Page No.
1.	Petition	- 1-6
2.	Annexure No. 1 (Photostat copy of letter No.Ka/Sama/Pari-85/7 (Awasthi) dt. 4.12.85 from DRM9Karmik)NER, Izatnagar, Bareilly.)	- 7
3.	Annexure No. 2(Photostat copy of representation dt.1.9.87)	- 8
4.	Annexure No.3 (Photostat copy of representation dated 29.9.87).	9
5.	Annexure No.4 (Photostat copy of representation dated 29.10.87)	10
6.	Annexure No.5 (Photostat copy of representation dated 20.2.88).	11-12
7.	Annexure No.6 (Photostat copy of representation dated 29.2.88).	13-14
8.	Annexure No.7 (Photostat copy of representation dated 26.3.88).	15-19
9.	Annexure No.8 (Photostat copy of representation dated 4.5.88).	20-21
10.	Annexure No.9 (Photostat copy of representation dated 21.5.88).	22
11.	Annexure No.10(Photostat copy of representation dated 18.6.88).	23
12.	Annexure No.11(Photostat copy of representation dated 29.6.88).	24-26
13.	Annexure No.12(Photostat copy of Notice dated 25.7.88)	-27
14	Vakalatnama	- 28

Steps filed

Filed today noted for 13/1/89

Dated: 12-1-89

(A8)

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,

ADDITIONAL BENCH, LUCKNOW.

Principal Bench - New Delhi
Additional Bench - Allahabad
Circuit Bench - Lucknow.

OA 5 of 09 (L)

BETWEEN

Kripa Shanker Awasthi aged about 53 years son of Late Raj Nath Awasthi, resident of C/o Ramesh Chandra Tripathi, house No. 296, Rajendra Nagar, Lucknow.

--- --- Applicant

Versus

1. Union of India through General Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur.

2. Divisional Railway Manager, North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly.

3. Divisional Account Officer, North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly.

--- --- Respondents.

DETAILS OF APPLICATION

1. Particulars of the applicant :

(i) Name of the applicant : KRIPA SHANKER AWASTHI

(ii) Name of father : Late Raj Nath Awasthi

(iii) Designation and office in which employed : Station Master under Divisional Railway Manager, Izat Nagar, Bareilly.

कृपा शंकर अवस्थी

(iv) Office Address : Railway Quarter, Brahmavart Bithoor, Kanpur.

(v) Address for service of all notices : House No. 296, Rajendra Nagar, Lucknow.

2. Particulars of the Respondents :

(i) Name and/or designation of the respondents :

(1) Union of India through General Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur.

(2) Divisional Railway Manager, North - Eastern Railway Izat Nagar, Bareilly.

(3) Divisional Accounts Officer, North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly.

(ii) Office address of the respondents :

(1) North Eastern Railway, Gorakhpur

(2) North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly

(3) North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly.

(iii) Address for service of all notices : As given above

3. Particulars of the order against which application is made : The application is for the reoovery of an amoun Rupees Two laos twenty thousand eight hundred and forty being pension and compensation on account of non-payment by the General Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur Divisional Railway Manager, North Eastern Railway, Izat Nagar Bareilly and Divisional Accounts Officer, North Eastern Railway, Izat Nagar, Bareilly.

इन्द्रशेखर अवस्थी

(A16)

4. Jurisdiction of the Tribunal : That the subject matter of the application is within the jurisdiction of the Tribunal.

5. Limitation : That the applicant further declares that the application is within the limitation prescribed in Section 21 of the Administrative Tribunals Act 1985.

6. Facts of the Case :

(A) That the applicant was initially appointed as Assistant Station Master in the year 1956 and he was promoted to the post of Station Master on accounting seniority complied with his efficiency, solid work, sincerity and honesty. He was never communicated an adverse entry.

(B) That some time back the officers concerned gave the applicant so great mental torture by not giving his salary etc. and not being paid and transferring him from one place to another with the result that the applicant had no other alternative except give his conditional resignation. But prior to its acceptance the applicant withdrew his aforesaid conditional retirement.

(C) That the authorities concerned out of prejudice, malafide intention and in colourable exercise of their power ~~removed~~ in retiring the applicant from service the applicant from service with effect from 9.11.84. The said order was not even communicated but in the month of May the applicant could know of the same and being aggrieved of the same, he preferred Writ Petition

delete and Amend with Court order dated 23-1-89
Ahmad Adv. 31/1/89

हु॰ अपठनीय

under Article 226 of the Constitution of India before Hon'ble High Court sitting at Lucknow which has been transferred to the Hon'ble Tribunal and is present pending here. Its number is T.A. 1896/87. The applicant was entitled to get Rs. 1100/- as pension. His own Contribution Provident Fund, L.I.C. and Gratuity etc. amounted to Rs. 80,000/- (Rupees Eighty Thousand) at the time when the illegal retirement order was passed.

Amend with Court order dated 23-1-09
Ahmad Adv. 31/1/09

(D) That under the rules the pension funds should have been paid immediately but inspite of repeated requests made on 1.9.87, 29.9.87, 29.10.87, 20.2.88, 29.2.88, 26.3.88, 4.5.88, 21.5.88, 18.6.88 and 29.6.88, & 25.7.88.

(E) That the Divisional Personnel Officer, Izat Nagar, Bareilly vide his office letter No. Ka/Sama/Pari - 84/7 (Awasthi) dated 16.5.88 received on 31.5.88 informed the applicant that the amount has been arranged but the said amount has so far not been paid by the opposite parties.

7. <u>Relief Sought</u> :

That the applicant prays for the following reliefs :-

(A) That in view of the facts mentioned in para 6 above the applicant prays that the opposite parties be directed to pay an amount of Rupees Two Lacs twenty thousands eight hundred and forty only.

(B) Costs of the application be allowed to the applicant.

(C) That any other relief which this Hon'ble Tribunal deems fit and proper be passed in favour of the applicant.

कृष्णकान्त अवस्थी

A12

8. Interim Order - No.

9. Details of reminders exhausted : The applicant made several representation dated 1.9.87, 29.9.87, 29.10.87, 20.2.88, 29.2.88, 26.3.88, 4.5.88, 21.5.88, 18.6.88, 29.6.88 & 25.7.88 but with no effects. Hence the necessity of the present application.

10. Matter not pending with any other Court etc. : The applicant further declares that the matter regarding with this application has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Bench of the Tribunal.

11. Particulars of Postal Order No. DD/5 065945 for Rs. 50/- in respect of the application fee is enclosed.

(1) Number of Indian Postal Order(s)

(2) Name of the issuing Post Office

(3) Date of issue of Postal Order(s)

(4) Post Office at which payable

12. Details of Index :

An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed.

13. List of Enclosures :

Given in the index.

(A13)

Verification

I, Kripa Shanker Awasthi aged about 55 years, son of Late Raj Nath Awasthi, resident of C/o Ramesh Chandra Tripathi, house No. 296, Rajendra Nagar, Lucknow do hereby verify that the contents of this application paragraphs 1 to 13 are true to my personal knowledge and belief and that have not suppressed any material facts.

Place: Lucknow

Date : 12-1-89

कृपा शंकर अवस्थी

Signature of the applicant

Annexure No.1

(7)

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या - का/सामा/पीर-85/7 (अवस्थी)   दिनांक - 4-12-85

प्रेषक:-
मं. रे. प्र. (का)
इज्जतनगर

सेवा में:-
श्री कृपाशंकर अवस्थी
भू०पू० सहायक स्टे. मास्टर पौंटा
मोहल्ला - ब्रह्मावर्त
डाक- बिठूर -
जिला - कानपुर (उ.प्र.)

विषय:- भविष्य निधि का भुगतान

आपको सूचित किया जाता है कि आपके भविष्य निधि के समापक भुगतान की व्यवस्था इस कार्यालय के final settlement Memo No. सम संख्यक दिनांक 3-12-85 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी - फतेहगढ़ के समक्ष नगद भुगतान हेतु कर दी गयी है।

आप 1-1-85 के बाद सम्बंधित कैशियर तथा एरिया आफीसर से भुगतान हेतु सम्पर्क बनाये रखें।

ह0/- 4-12-85
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
इज्जतनगर

Central Govt. Industrial Trib. cum Labour Court Kanpur

CERTIFIED COPY
(S. S. SHARMA) 28-8-87
Secretary
Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court Kanpur

कृपाशंकर अवस्थी

True copy Attested
Akhilkeerti

Annexure No. -2

सेवा में,

श्री [illegible]
[illegible] ।

विषय :- [illegible] सन् 1963 से अब तक का [illegible] (आदेश [illegible]) प्रदान करने तथा [illegible] के [illegible] 50% [illegible] का [illegible] भुगतान करने हेतु प्रार्थनापत्र ।

———— x ————

महोदय,

निवेदन है कि [illegible] आपका पत्र [illegible] दिनांक 04-12-85 [illegible] प्राप्त हुआ [illegible] भुगतान [illegible]

[illegible] भुगतान [illegible] अब तक [illegible] भुगतान न हुआ, न [illegible] (क्योंकि [illegible]) [illegible] पुनः [illegible] मेरे [illegible]

अतः [illegible] आपसे निवेदन है कि [illegible] (1) [illegible] (2) [illegible] 50% पेंशन का भुगतान [illegible] परिवार का [illegible] ।

धन्यवाद,

दिनांक - [illegible]

आपका विश्वासी :-
कृपाशंकर अवस्थी
([illegible])
[illegible]
[illegible]
जिला - कानपुर ([illegible])

प्रतिलिपि [illegible] :-
1- श्री [illegible]
2- श्री [illegible]

दिनांक :- [illegible] 1985.

कृपाशंकर अवस्थी
([illegible])

कृपाशंकर अवस्थी

True copy
Attested
Atul Keerti

Annexure No.-3

सेवा में,

श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।

विषय :- चिकित्सा एवं उसके समय का वेतन भुगतान ।

महोदय,

निवेदन के साथ आपका ध्यान दिनांक 15-11-84, 28-12-84, 31-1-85, 18-2-85, 21-3-85, 25-4-85, 29-5-85, 22-6-85, 31-7-85, 23-8-85, 26-9-85, 31-10-85, 30-11-85, 31-12-85, 31-1-86, 28-2-86, 30-3-86, 30-4-86, 31-5-86, 30-6-86, 26-7-86, 25-8-86, 30-9-86, 28-10-86, 30-11-86, 31-12-86 30-1-87, 27-2-87, 31-3-87, 30-4-87, 25-5-87, 30-6-87, 29-7-87, एवं 31-8-87 के प्रार्थना पत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है । कृपया आप परिणाम से तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि मेरे उपरोक्त प्रपत्रों पर क्या ध्यान आकर्षित किया गया ? मेरा अभी तक कोई भी वेतन नहीं मिला है । मैं अभी भी अस्वस्थ हूँ जिसका कारण प्रथम तो पैसे का न प्राप्त होना है एवं द्वितीय आवास को खाली कराने की धमकी की उलझनें हैं । अत: मैं स्वस्थ होता हूँ एवं इन उलझनों से पुनः अस्वस्थ हो जाता हूँ ।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर भलीभाँति ध्यानाकर्षण करेंगे तथा आप उसपर सही निर्णय लेकर मेरा उपरोक्त सभी भुगतान कराने का तुरन्त कष्ट करेंगे तथा आप मेरा कम से कम 50 प्रतिशत भविष्यनिधि का पैसा भुगतान कराने का भी कष्ट करेंगे । जिससे आवास की सुविधा प्राप्त की जा सके तथा रेलवे आवास से मुक्ति मिल सके । अति दया होगी ।

आपका विश्वासनीय,
कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर/पीटा,
मु0-ब्रम्हावर्त, डा0-बिठूर,
जिला-कानपुर (उ0प्र0),

दिनांक सितम्बर 29, 1987

निम्न प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं :-

1- श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
2- श्रीमान् महाप्रबन्धक, (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
3- श्रीमान महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
4- लेबर इन्फोर्समेन्ट आफिसर (सेन्ट्रल), कानपुर/ बरेली ।
5- अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली एवं
6- श्रीमान् रेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर/पीटा,
मु0-ब्रम्हावर्त, डा0-बिठूर,
जिला- कानपुर (उ0प्र0),

दिनांक सितम्बर 29, 1987

कृपा शंकर अवस्थी

True copy
Attested
[illegible]

Annexure No. -4

(A17) (18)

सेवा में,

श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

विषय :- मेरे भविष्य निधि पैसे की सन 1959 से अबतक की समस्त रसीद (अथवा समस्त लेखा जोखा) प्रदान करने तथा भविष्य निधि के कम से कम 50% पैसे का तुरन्त भुगतान करने हेतु प्रार्थना पत्र।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या का/समा0/पारि-83/7 (अवस्थी) दिनांक 04.12.85 एवं मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक सितम्बर 1, 198 एवं सितम्बर 24, 87

महोदय,

मैं आपका ध्यान उपरोक्त पत्रों की ओर आकृष्ट करने हेतु निम्न निवेदन करता हूँ :-

यह कि मेरे वेतन न प्राप्त होने के लगभग 3 वर्ष बीत गये जबकि मेरा प्राइवेट उपचार भी चल रहा है, क्योंकि आपकी ओर से ही मैं जबरदस्ती इस सुविधा से वंचित किया गया था, जबकि मेरे [illegible] अस्वस्थ्य का एवं मेरी हालत बड़ी चिन्ताजनक थी, तब मुझे मजबूरी में प्राइवेट उपचार कराने हेतु बाध्य होना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट प्रतिमाह भेजी जाती रही है। प्राइवेट उपचार में [illegible] पैसा व्यय होता है इसलिये मैं बारबार स्वस्थ होता हूँ तथा पुनः अस्वस्थ हो जाता हूँ। इधर मेरे परिवार का पालन पोषण भी होना आवश्यक है। यही नहीं मेरे दो मुकदमें भी न्यायालय में चल रहे हैं, जिसमें भी [illegible] पैसा व्यय हो रहा है। मेरे [illegible] पैदा होने का साधन भी [illegible] कोई साधन भी नहीं है। [illegible] कठिनाई में [illegible] मैं अपना कोई [illegible] खर्चा चला रहा हूँ, जबकि [illegible] भी [illegible] के उद्देश्य से मेरे बारबार याचना रही है। आप [illegible] करने के उद्देश्य से मेरे बारबार [illegible] करने पर भी, मेरा ही पैसा नहीं भुगतान कर रहे हैं और न ही कोई उत्तर दे रहे हैं।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि [illegible] विषय पर [illegible] ध्यान देकर (i) सन् 1959 से अबतक की भविष्य निधि की समस्त रसीद भेजने (अथवा पूरा लेखा जोखा देने) तथा (ii) भविष्य निधि का कम से कम 50% पैसे का तुरन्त भुगतान करने का कष्ट करेंगे, जिससे मैं अपने परिवार का [illegible] पोषण कर सकूँ, अपने उपचार को सही ढंग से कर सकूँ एवं मुकदमों तथा [illegible] सुचारु रूप से कर सकूँ। यह मेरी ओर से नोटिस है, जिसका समय मात्र एक माह है। यदि इतने दिन के अन्दर मेरा वांछित भुगतान एवं लेखा जोखा नहीं दिया जाता है, तो मुझे न्यायालय से न्याय प्राप्त करने हेतु जाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। इसलिये आपसे पुनः निवेदन है कि आप परेशान करने की आदत [illegible] को त्यागकर यथाशीघ्र भुगतान करने एवं पूर्ण लेखा जोखा देने का कष्ट करेंगे। अति दया होगी।

अग्रिम धन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र :-
कृपाशंकर अवस्थी

दिनांक :- अक्टूबर 29, 1987. (कृपाशंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर / [illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible] (30[illegible])

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attest
[illegible]
Adv.

Annexure No. - 5 (17) (A/8)

सेवा में,

श्री मान् मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

विषय :- मेरे भविष्यनिधि पैसे की सन् 1959 से नवम्बर 1984 की समस्त रसीदें (अथवा समस्त लेखा जोखा) प्रदान करने तथा भविष्यनिधि के कम से कम 50% पैसे का तुरन्त भुगतान करने हेतु प्रार्थनापत्र।

—— x ——

संदर्भ :- आपका प्रपत्र संख्या का/समा०/परि- 85/7 (अवस्थी) दिनाँक 4-12-85 एवं मेरे प्रार्थनापत्र दिनाँक सितम्बर 1, 1987, सितम्बर 29, 1987, अक्टूबर 29, 1987 तथा पेड टेलीग्राम दिनाँक दिसम्बर 11, 1987.

महोदय,

मैं आपका ध्यान उपरोक्त प्रपत्रों एवं पेड टेलीग्राम की ओर पुन: आकृष्ट
करने हेतु निम्न निवेदन करता हूँ :-
यह कि मेरे वेतन न प्राप्त होने के लगभग साढ़े तीन वर्ष (3 वर्ष 6 माह) बीत गये,
जबकि मेरा प्राइवेट उपचार भी चल रहा है, क्योंकि आपकी ओर से ही मैं जबरदस्ती इस
सुविधा (रेल सुविधा) से वंचित किया गया था, जबकि मैं विशेष अस्वस्थ था एवं मेरी
हालत बड़ी चिन्ताजनक थी तथा मुझे ऐसी हालत में डिस्चार्ज कराया गया, तब मुझे
मजबूरी में प्राइवेट उपचार कराने हेतु बाध्य होना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट भी प्रतिमाह भेजी
जाती रही है। प्राइवेट उपचार में विशेष पैसा व्यय होता है, इसलिये मैं अभी तक पूर्ण
उपचार नहीं करा पाया, बिना पैसे के मैं सही उपचार नहीं करा पाता हूँ, यही कारण है
कि मैं बार बार स्वस्थ होता हूँ तथा पुन: अस्वस्थ हो जाता हूँ, क्योंकि पैसे के साथ
साथ चिन्ता लगी रहती है। इधर मेरे परिवार का पालन पोषण भी होना आवश्यक है।
यही नहीं, मेरे दो मुकदमे भी अदालत में चल रहे हैं, पहला मुकदमा ट्रिब्यूनल कानपुर में
एरियर पैसे का एवं दूसरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सर्विस का चल रहा है (मैं अभी
सर्विस से अलग नहीं हुआ हूँ), जिसमें भी विशेष पैसा व्यय हो रहा है। मेरे पास पैसा पैदा
होने का अन्य कोई स्रोत भी नहीं है। बड़ी कठिनाई से ऋण आदि लेकर मैं अपना खर्चा
चला रहा हूँ, जबकि अब आगे वह भी कठिन हो गया है। इधर मेरे पास कोई आवास भी
नहीं है, जिसके लिये मैंने खासतौर से उपरोक्त भविष्यनिधि का पैसा माँगा है। हालाँकि
मैं अनधिकृत रूप से इस क्वार्टर में नहीं रह रहा हूँ, यह मुझे पुन: एलाट हुआ है। मैं अभी
रिटायर नहीं हुआ हूँ तथा सुप्रीमकोर्ट में इसका मामला चल रहा है। यही नहीं, इस क्वार्टर का
कोई क्लेमेण्ट भी नहीं है। यह क्वार्टर खाली पड़ा रहता, जिसका मैं किराया दे रहा हूँ, जो
राष्ट्रहित में है। आप इसका भी विरोध कर रहे हैं तथा आप विशेष परेशान कर रहे हैं। आप
परेशान करने के उद्देश्य से ही मेरे बार-बार अपना उपरोक्त पैसा माँगने पर भी मेरा ही
पैसा देने में आपत्ति समझते हैं तथा उसके लिये कोई भी उत्तर देने में आपत्ति समझते हैं।
क्या यह परेशान करना नहीं है?

अत: आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उपरोक्त विषय पर अपना पूर्ण
ध्यानाकर्षण करेंगे तथा (i) सन् 1959 से नवम्बर 1984 के भविष्यनिधि की समस्त
रसीदें भेजने (अर्थात पूरा लेखा जोखा देने) तथा (ii) भविष्य निधि का कम से कम
50% पैसे का तुरन्त भुगतान करने का कष्ट करेंगे, जिससे मैं अपने परिवार का भलीभाँति
भरण पोषण कर सकूँ, अपने उपचार को सही ढंग से कर सकूँ, मुकदमे तथा अन्य कार्य

दयाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

सुचारु रूप से कर सकूँ एवं आवास के लिये जगह (भूखण्ड) खरीद सकूँ एवं कोर्ट से फैसला होने के बाद जिसका आवास तैयार किया जा सके। मैंने इसके लिये एक माह की नोटिस भी दी थी कि इतने दिन के अन्दर, आप मेरा फैसला नहीं करते हैं तो मैं न्यायालय की शरण लेने के लिये बाध्य होऊँगा, फिर भी आप मुझे परेशान करने की वृत्ति अपनाये रहे। यही कारण है कि आपने न तो लेखा जोखा ही दिया और न ही मेरा कुछ भी भुगतान किया, जबकि मेरा बहुत सा पैसा रेलवे के पास पड़ा है। यदि मैं सर्विस में पुनः आता हूँ तो $3\frac{1}{2}$ वर्ष का वेतन एवं अन्य एरियर पैसा रेलवे को देना होगा। यदि सर्विस में पुनः नहीं आता हूँ तो इतने दिनों (अर्थात $3\frac{1}{2}$ वर्ष) का पेन्शन ~~पेन्सेन~~ का एरियर, ग्रेच्युटी एवं अन्य एरियर पैसा रेलवे को देना होगा। मेरे भविष्यनिधि को रोकने का आपका ~~मोका~~ क्या प्रयोजन है? मात्र यही कि मुझे अत्यधिक परेशान करना। इसलिये आपसे पुनः निवेदन है कि आप परेशान करने की अपनी इस वृत्ति को त्याग कर मेरे भविष्य निधि का पूर्ण लेखा जोखा देने एवं मेरे भविष्यनिधि के कम से कम 50% का अविलम्ब भुगतान करने का कष्ट करेंगे अन्यथा 15 दिन देखने के बाद मैं इसे न्यायालय में ले जाने के लिये बाध्य होऊँगा।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आप मेरे उपरोक्त विषय पर अपना पूर्ण ध्यानाकर्षण करेंगे एवं पूर्ण लेखा जोखा देते हुये आप अविलम्ब भुगतान करने का कष्ट करेंगे। अति दया होगी। मैं भी इस उदारता-पूर्ण कार्य के लिये आपका सदैव आभारी रहूँगा।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासनीय -

कृपाशंकर अवस्थी

दिनांक - फरवरी 20, 1988.

(कृपाशंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर / पौटा (पीलीभीत),
मु० ब्रह्मावर्त, डा० बिठूर,
जिला - कानपुर (उ०प्र०)।

निम्न प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ, उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं:-

1- श्री मान् मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर;
2- श्री मान् महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर;
3- श्री मान् लेबर इन्फोर्समेण्ट आफीसर (सेन्ट्रल) स्वरूप नगर, कानपुर / बरेली,
4- श्री मान् महामन्त्री, मजदूर यूनियन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर,
5- श्री मान् अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली एवं
6- श्री मान् रेलमन्त्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

कृपाशंकर अवस्थी

दिनांक - फरवरी 20, 1988.

(कृपाशंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर / पौटा (पीलीभीत),
मु० ब्रह्मावर्त, डा० बिठूर,
जिला - कानपुर (उ०प्र०)।

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

Annexure No.-6

13

सेवा में,

श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।

विषय :- किराया एवं उसके सम्बन्ध का वेतन भुगतान ।

महोदय,

निवेदन के साथ आपका ध्यान दिनांक 15-11-84, 28-12-84, 31-1-85, 18-2-85, 21-3-85, 25-4-85, 29-5-85, 22-6-85, 31-7-85, 23-8-85, 26-9-85, 31-10-85, 30-11-85, 31-12-85, 31-1-86 28-2-86, 30-3-86, 30-4-86, 31-5-86, 30-6-86, 26-7-86, 25-8-86, 30-9-86, 28-10-86, 30-11-86, 31-12-86, 30-1-87, 27-2-87, 31-3-87, 30-4-87, 25-5-87, 30-6-87, 29-7-87, 31-8-87, 29-9-87, 31-10-87, 30-11-87, 31-12-87 एवं 30-1-88 के प्रार्थनापत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है । कृपया आप परिणाम से तुरन्त अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि मेरे उपरोक्त पत्रों पर क्या ध्यान आकर्षित किया गया ? मेरा अभी तक कोई भी वेतन नहीं दिया गया, न ही मुझे भविष्य निधि का ही पैसा दिया गया । मैं अभी भी अस्वस्थ हूँ, जिसका कारण मुख्य तो पैसे की कमी से चिन्ता एवं [illegible] आवास की समस्या से मन में अशान्ति का होना । मेरा भी भविष्य निधि का पैसा मुझे नहीं दिया जा रहा है, जबकि क्वार्टर को बीच में छोड़कर, क्योंकि खाली पड़ा रहने वाला क्वार्टर भी मेरे नाम पुनः आवंटित किया गया था । जिसका कि मैं रेलवे को किराया भर रहा हूँ, और जो [illegible] में है । फिर मेरा बहुत सा पैसा रेलवे के पास पड़ा है, जिससे भी क्वार्टर का किराया कम कराया जा सकता था, जब मेरा कोई वेतन समाप्त हो जाय । क्योंकि आप अपना किराया काट सकते थे, फिर भी अपना भविष्य निधि का आधा भी तो पैसा बाकी है तो उसे देने में आपको क्या आपत्ति है ?

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अपना पूर्ण ध्यानाकर्षण करेंगे तथा आप मेरे उपरोक्त सभी वेतनों का भुगतान शीघ्र करेंगे । तथा मेरे भविष्य निधि का कम से कम 50 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान करने का कष्ट करेंगे । अति कृपा होगी । उपरोक्त कृपापूर्ण कार्य के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा ।

प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु

धन्यवाद ।

दिनांक जनवरी, 29, 1988

आपका विश्वासपात्र,—
कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर/[illegible],
[illegible],
जिला-रामपुर [illegible]

कृपाशंकर अवस्थी

True copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

14 57 A21

- 2 -

निम्न प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ, उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं :-

1- श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
2- श्रीमान् महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
3- श्रीमान् महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
4- श्रीमान् सेवर एक्जीक्यूटिव आफीसर (मेन्टूस), कानपुर /बरेली ।
5- श्रीमान् अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली एवं
6- श्रीमान् रेलमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

दिनांक फरवरी, 20, 1988

कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर /रिटा.,
मु0- कुन्दावली, पो0- बिठूर,
जिला- कानपुर (उ0प्र0) ।

कृपाशंकर अवस्थी

True copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

Annexure No.-7

(15)

A22

सेवा में,

श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।

विषय:- क्वार्टर के खाली न होने की प्ली लेकर मेरे ही भविष्य निधि पैसे को न देकर एवं मुझे परेशान करके सम्बन्धित रेल अधिकारियों व्दारा मुझे विशेष क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाने से सम्बन्धित एक प्रार्थना-पत्र ।

= =

महोदय,

निवेदन के साथ कुछ तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो निम्न हैं :-

1- यह कि मेरे भविष्य निधि का पैसा आपके प्रपत्र सं० का/~~तमा~~०/परि-85/7 (अवस्थी) दिनांक 4-12-85 व्दारा स्वीकृत किया गया, परन्तु बारबार मेरे याचना करने पर भी भविष्यनिधि का पैसा मुझे नहीं दिया गया । इधर मेरी अस्वस्थता में नवम्बर, 1984 से मेरा वेतन रोक लिया गया तथा मुझे उपचार में रेल सेवा की सुविधा से वंचित कर दिया गया (मात्र यह दिखाकर कि मेरा वालंटरी रिटायरमेन्ट दिनांक 9-11-84 से मान लिया गया है, जबकि यह गलत किया गया, क्योंकि नाटिस टाइम, जो तीन माह है, के अन्दर मैंने वालन्टरी रिटायरमेन्ट वापस मांगा है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि रेलवे बोर्ड सर्कुलर कहता है कि इसे वापस देना है, चाहे रिजिग्नेशन स्वीकृत हुआ हो या न हुआ हो । यहीकारण है कि इसका कोर्ट में केश भी चल रहा है) ~~XXXX~~ जिससे मुझे प्राइवेट उपचार कराने हेतु विवश होना पड़ा, जिसमें मेरा अधिक पैसा व्यय हुआ । इधर मुझे पूरी ग्रहस्थी चलानी थी । पैसे की अधिक कमी होने एवं पैसा पैदा करने का कोई अन्य साधन न होने के कारण चिन्ता में अभी तक मैं अस्वस्थ चलता रहा । इसी सिलसिले में मैं ~~ल~~लगभग पचापचास हजार (रु० 50,000/=) का ऋणी हो गया, जिसमें सेन्ट्रल बैंक का मेरा एक रिकरिंग खाता समाप्त हो गया तथा मेरे दो बीमे खातों से लगभग 75 प्रतिशत पैसा ऋण के रूप में निकल गया, जिसका ब्याज भी अधिक हो गया, जो जमा नहीं हो पाया ~~इसलिए XXXX/XX~~ तथा ~~XXXX/XX~~ जिसका प्रीमियम एवं इसका ब्याज भी अभी तक नहीं जमा हो पाया, जबकि एक बीमा पालिसी मीच्योर्ड होने को है । यदि बीमा पालिसी वापस नहीं होती है, तो मुझे और अधिक क्षतिउठानी पड़ेगी। यह सब मात्र संबंधित रेल अधिकारियों

क्रमशः:--------2

True copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

व्दारा परेशान करने के कारण हुआ, जिससे मेरा लगभग रुपये पैंसठ हजार (रू0 65,000/-) व्यर्थ में व्यय हुआ तथा जिसके लिए मात्र सम्बन्धित रेल अधिकारी ही जिम्मेदार हैं।

2- यह कि मेरे भविष्य निधि एवं माहवारी वेतन रोकने के कारण तथा मेरे पास पैसा न होने के कारण मेरे बेटे की तीन वर्ष की शिक्षा बन्द रही। यह मात्र सम्बन्धित रेल अधिकारियों के परेशान करने के कारण हुआ एवं जिससे मेरे लगभग पैंतालिस हजार रुपये (रू0 45,000/=) की क्षति आँकी गयी तथा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी भी मात्र सम्बन्धित रेल अधिकारियों की हो जाती है।

3- यह कि मेरे भविष्य निधि एवं मासिक वेतन रोकने के कारण मेरी लड़की की एक वर्ष की शिक्षा बन्द रही, जिसका मुख्य कारण सम्बन्धित रेल अधिकारियों व्दारा मुझे परेशान करना ही है और यह जिम्मेदारी भी सीधे सम्बन्धित रेल अधिकारियों की है, क्योंकि इसमें भी मेरे लगभग रुपये पन्द्र हजार (रू0 15,000/-) की क्षति आँकी गयी है।

4- यह कि मेरे भविष्य निधि एवं मासिक वेतन रोकने के कारण तथा मेरे पास पैसा न होने के कारण मेरी बेटी का व्याह नहीं तय हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण भी मात्र सम्बन्धित रेल अधिकारियों के परेशान करने के कारण ही हुआ है एवं जिससे मेरा तथा मेरी बेटी का भविष्य ही अंधकार एवं खतरे में पड़ गया है, जिसकी जिम्मेदारी भी मात्र सम्बन्धित रेल अधिकारियों की है, उन्हीं को क्षतिपूर्ति करनी है, जो लगभग रुपयें पचास हजार (रू0 50,000/=) आँकी गयी है।

5- यह कि मेरा क्वार्टर नं0 टी2/बी बहुत पुराना क्वार्टर है, जिसके निर्माण हुए लगभग सौ वर्ष हो गये तथा जिसको बहुत पहले डिसेमेन्टिल्ड हो जाना चाहिए था एवं जिसका रेण्ट नहीं लगना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। मात्र हुआ यह कि सम्बन्धित रेल अधिकारी कईबार यहाँ आये एवं क्वार्टर को बढाने के लिए दोनों ओर की नाप जोख की गयी, जैसा कि अन्य जगहों उदाहरणार्थ फतेहगढ आदि में हुआ। अन्य जगहों में तो निर्माण कार्य हुआ, परन्तु यहाँ मात्र बार-2 नाप जोख करने एवं व्यर्थ ही बार-2 यात्राभत्ता बनाकर चले जाने के अलावा और कुछ नहीं किया गया/न तो क्वार्टर बढ़ाये गये नहीं, नये क्वार्टर को पुनः निर्माण कराया गया। मात्र रेल का पैसा यात्राभत्ता आदि में व्यर्थ ही गया। मण्डल रेल अभियन्ता के ब्रम्हावर्त स्टेशन आगमन

क्रमशः -------3

दयाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv

(17)

A24

पर मैंने यह सारी बातें कहीं थीं तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि रेल के पास बजट नहीं है इसलिए कोई कार्य नहीं हो सकता है । तब मैंने उनसे कहा कि यदि रेल के पास बजट नहीं है तो क्वार्टरों का रेण्ट क्यों लिया जा रहा है एवं बारबार व्यर्थ की नापाजोखी करके यात्रा भत्ता क्यों वसूल किया जा रहा है, जबकि निर्माण का कार्य नहीं होना है, फिर मैंने क्वार्टरों में कोई सुविधा न मिलने एवं क्वार्टर में असुरक्षित होने की बात एवं रिस्क की बात कही थी, तो उन्होंने सहायक अभियन्ता श्री राय साहब को यह आदेश दिये थे कि सभी क्वार्टर डिस-मेन्टिल्ड कर दिये जायँ एवं क्वार्टरों का रेन्ट न काटा जाय, तो भी क्वार्टरों xxxxxxxxx का रेन्ट अभी भी काटा जा रहा है, वह भी अधिक । क्वार्टर छोटे साइज के हैं तथा जिसका रेन्ट अधिक काटा जाता है तथा जिसके लिए भी मैंने लिखा था कि रेन्ट कम किया जाय तथा जो रेन्ट अधिक लिया गया है, उसे तुरन्त रिफण्ड किया जाय, परन्तु मात्र खाली आश्वासन देने के और कुछ नहीं किया गया । मेरे क्वार्टर का आज तक कोई कमेन्ट नहीं है, या यों कहिए कि यह क्वार्टर सरप्लस (अतिरिक्त) हैं तथा यह खाली पड़ा रहता, जिसके कारण इस क्वार्टर को सन् 1981 में मेरे नाम पुनः आवन्टित किया गया, जबकि यह पहले से ही मेरे नाम आवन्टित था । यदि मैं खाली पड़े रहने वाले क्वार्टर का रेन्ट दे रहा हूँ एवं जो राष्ट्र हित में है, तो रेल अधिकारियों को क्या आपत्ति है, तथा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, एवं मुझे अत्यधिक परेशान क्यों किया जा रहा है ? मैंने अपने भविष्य निधि का मात्र 50 प्रतिशत पैसा ही माँगा, वह भी मात्र इसलिए कि मैं अपने निजी आवास के शिलान्यास का तुरन्त प्रबन्ध कर सकूँ एवं रेलवे क्वार्टर को खाली कर सकूँ । उसे भी नहीं दिया गया तथा मुझे और अधिक परेशान किया गया । इसी परेशानी के कारण मैं और भी अधिक अस्वस्थ हुआ, जिससे भी उपचार में अधिक पैसा व्यय हुआ । अब चूँकि मेरे पास कोई अन्य आवास नहीं है तथा पैसा भी नहीं है, जिससे मैं भाड़े पर ही कोई प्राइवेट मकान ले सकूँ एवं रेलवे क्वार्टर को खाली कर सकूँ, जिसके लिए मैं सन् 1985 से अब तक आपके प्रपत्र सं0 टी/272/क्वा0/बी0आर0टी/85 दि018-10-85 एवं सं0 शून्य, दि0 7-5-86 के द्वारा परेशान किया जा रहा हूँ, जिससे मैं एवं मेरे परिवार वाले बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए । उनके दिमाग पर विशेष असर पड़ा। एवं सभी परेशान हुए, चिन्तित हुए तथा बीमार हुए, जिससे पैसा तो व्यर्थ गया ही, तथा साथ ही साथ उनके जीवन पर धक्का लगा एवं जीवन आधा भी नहीं रह गया,

क्रमशः----8

[signature]

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv

(18) (A25)

जिसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित रेल अधिकारियों की है तथा इस क्षति को भी ये ही पूरा करेंगे । इस क्षति का आंकलन भी लगभग रुपये एक लाख [रु० 1,00000/-] ही होता है ।

6- यह कि मेरे भविष्य निधि का पैसा मात्र क्वार्टर को खाली न करने की प्लो लेकर नहीं दिया जा रहा है, जबकि भविष्य निधि के अलावा मेरा बहुत सा एरियर पैसा, जिसमें मेरे पेन्शन फण्ड एरियर पैसा प्रमुख है, शामिल है, एवं जो नहीं दिया जा रहा है तथा सभी ही रेल के पास पड़ा हुआ है । इस तरह से रेल मेरा बहुत ऋणी है एवं केस समाप्त होने के बाद इस एरियर पैसे से मेरे क्वार्टर रेन्ट का एरियर काटा जा सकता था । यह सारा पैसा रोककर मुझे विशेष परेशान किया गया, जिसकी चिन्ता से भी मैं विशेष अस्वस्थ हुआ एवं जिससे मैं तथा मेरे परिवार वालों का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ तथा सभी का आधा जीवन ही नष्ट हो गया, यह सबसे बड़ा हरेसमेन्ट है, जिसमें सम्बन्धित रेल अधिकारियों की ही पूर्ण जिम्मेदारी है, जिसकी क्षति, जो लगभग रुपए एक लाख [रु० 1,00000/-] है, की पूर्ति उन्हीं अधिकारियों से ही होनी है ।

7- यह कि मेरे भविष्यनिधि का पैसा इसलिए रोका गया कि पैसे की कमी के कारण मैं कोर्ट में केस न लड़ सकूँ । हुआ भी यही कि पैसे की कमी से मैं सही वकील नहीं कर पाया । मेरी हियरिंग की तारीख 13-10-87 दी गयी थी । मैं तथा मेरा वकील सही तारीख पर पहुँचे, परन्तु रेल प्रशासन का पक्षपात करने के लिए मेरी कल्पित तारीख दि0 22-9-87 को दिखाकर तथा हमारी [मैं एवं मेरे वकील की] अनुपस्थिति दिखाकर दि0 23-9-87 को ही [अतिशीघ्र] फैसले में एक तरफा दिखा दिया । कैसा अंधा कानून है ? चूँकि मेरा वकील नया था इसलिए विरोध करने का उनमें साहस नहीं था और मुझे एकतरफा वाला ही फैसला प्राप्त करा दिया गया । इसके बाद पैसे की कमी से सुप्रीम कोर्ट में भी मैं सही वकील नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे मैं अपनी सर्विस बचा सकूँ, तथा अपनी सीनियारिटी आदि प्राप्त कर सकूँ, जिससे मैं लगभग साढ़े तीन साल का वेतन एवं सीनियारिटी का एरियर पैसा प्राप्त कर सकूँ । सुप्रीमकोर्ट से मेरे जैसे दो मुकदमें (जो कि मेरी नोटिस में है) तय हुए हैं, जिसमें सर्विस के अलावा सभी अन्य सुविधायें प्रदान की गयी हैं । इन दोनों मामलों में नोटिस टाइम [जो तीन महीने है] के अन्दर आपने अपने वालण्टरी रिटायरमेन्ट वापस माँगे गए हैं तथा नोटिस टाइम के अन्दर मैंने भी अपना वालण्टरी रिटायरमेन्ट वापस माँगा है, जो मुझे मिलना चाहिए । यदि मुझे भविष्य

क्रमशः------5

हृदयाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

(19) (A26)

निधि का पैसा दे दिया जाता, तो मैं भी सुप्रीमकोर्ट में अच्छा वकील करके मुकदमा लड़ता तथा मैं भी केश जीत जाता । इस तरह से मुझे लगभग रुपये एक लाख ।रुपया-1,00000/-। की प्राप्ति हो जाती तथा सीर्वता एवं सीनियारिटी भी मिल जाती/ बड़ा आश्चर्य है कि मेरे ही भविष्यनिधि का पैसा मुझे इसलिए नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि मैं केश न लड़ पाऊँ तथा मैं अधिक परेशान होऊँ । इसकी भी जिम्मेदारी सम्बन्धित रेल अधिकारियों की होती है, वही इस एक लाख रुपये की क्षति की पूर्ति का अधिकारी है ।

क्रमांक । से लेकर 7 तक का सारी जिम्मेदारी उससे सम्बन्धित रेल -अधिकारियों की होती है, जिसकी अदायगी भी इन्हीं अधिकारियों से की जाय ।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उपरोक्त विषय पर अपना पूर्ण ध्यानाकर्षण करेंगे तथा आप अपनी हठवादिता को एवं परेशान करने की वृत्ति को छोड़कर मेरे भविष्यनिधि का पूर्ण विवरण ।लेखा जोखा। देते हुए मुझे कम से कम 50 प्रतिशत का भुगतान देने का अविलम्ब प्रबन्ध करेंगे, जिससे मेरे आगामी कार्यों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, कोई बाधा न आये तथा मैं और अधिक परेशान होने से बच सकूँ । अति दया होगी । आपके इस उदारता पूर्ण कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा ।

सधन्यवाद ।

दिनांक मार्च 26, 1988

आपका विश्वासनीय:-
कृपाशंकर अवस्थी
। कृपा शंकर अवस्थी ।,
स्टेशन मास्टर /पौटा,
मु0-ब्रम्हावर्त, पो0-बिठूर,
जिला- कानपुर ।उ0प्र0।/

निम्न प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ एवं उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं:-

1- श्रीमान सहायक अभियन्ता, पूर्वोत्तर रेलवे, फतेहगढ़ ।
2- श्रीमान मण्डल अभियन्ता, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
3- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
4- श्रीमान महाप्रबन्धक ।कार्मिक। पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
5- श्रीमान महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
6- श्रीमान लेवर इन्फोर्समेन्ट आफीसर, ।सेन्ट्रल।कानपुर ।बरेली।
7- श्रीमान महामंत्री, मजदूर यूनियन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
8- श्रीमान अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली एवं ।
9- श्रीमान रेलमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

कृपाशंकर अवस्थी
। कृपा शंकर अवस्थी ।,
स्टेशन मास्टर /पौटा,
म0 ब्रम्हावर्त, पो0-बिठूर,
जिला-कानपुर ।उ0प्र0।/

दिनांक मार्च 26, 1988

कृपाशंकर अवस्थी
True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

Annexure NO.-8

(20)

(A27)

सेवा में,

श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

विषय :- क्वार्टर के खाली न होने की प्ली लेकर मेरे ही भविष्यनिधि के पैसे को न देकर एवं मुझे परेशान करके सम्बन्धित रेल अधिकारियों द्वारा मुझे विशेष क्षति पहुँचाने के प्रयास किए जाने से सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र।

संदर्भ :- मेरा प्रार्थना पत्र दि0 26-3-88 एवं पेड टेलीग्राम दि0 22-4-88

महोदय,

निवेदन के सीध में अपका ध्यान उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं पेड टेलीग्राम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ एवं उसके परिणाम से अवगत कराने हेतु आपसे आशा करता हूँ।

मैं दि0 4-4-88 को जब हियरिंग के लिए आपके कोर्ट में उपस्थित हुआ तब बिल विभाग के सम्बन्धित बाबू जी से भेंट हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे भविष्य निधि के भुगतान हेतु तीनों पूर्ण अथारिटी फार्म हित निरीक्षक द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। जो मेरे द्वारा पूर्ण करके हित निरीक्षक को प्राप्त कराये गये थे। तथा वह भविष्य निधि के लिए चेक या कैशरूम में एक सप्ताह में भेजने का कष्ट करेंगे। मैंने उसकी बड़ी प्रतीक्षा की, परन्तु अभी तक मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, जो बड़ी दुःखद बात है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में निम्न पैरा जोड़ने के आपके इस कष्ट हेतु मैं आपसे विशेष आशा करता हूँ :-

8- यह कि मेरे भविष्यनिधि का पैसा यदि कहीं समय पर भुगतान कर दिया जाता है एवं मैं कहीं उस पैसे से कोई धन्धा कर लिया होता, तो मैं उससे लाखों रुपये पैदा कर लेता तथा मैं आज जैसा ऋणी एवं दीन नहीं हो जाता तथा चिन्ता में मेरा जो आधा शरीर नष्ट हो चुका है, वह कदापि नहीं हो पाता, बल्कि मेरा एक सुन्दर सा आवास भी होता। तात्पर्य यह है कि न तो मैं इस रेलवे क्वार्टर में रहता, नहीं आपके यहाँ क्वार्टर के लिए कोई गलत केश ही चलाया जाता। मेरे भविष्यनिधि का पैसा रोककर मेरे उपर क्वार्टर का जबरजस्ती केश चलाकर मुझे अत्यधिक परेशान किया जा रहा है, जो अत्यन्त अनुचित है, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी श्री पी0एल0आनन्द जी ही जिम्मेदार हैं तथा केश समाप्ति तक इनका पूर्ण भविष्यनिधि का पैसा एवं ग्रेच्युटी आदि रोक दी जाय, जिससे मेरी क्षति का भुगतान किया जा सके। इस क्रमांक 8 में मेरी क्षति का आंकलन भी लगभग तीन लाख रुपये (रु0 3,00000/-) होता है।

क्रमांक 1 से लेकर क्रमांक 8 तक की सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित रेलअधिकारियों की है, जिसका भुगतान भी इन्हीं अधिकारियों से होनी है एवं जिसके लिए इन सभी सम्बन्धित अधिकारियों का पूर्ण भविष्यनिधि का पैसा एवं ग्रेच्युटी आदि तब तक रोक दी जाय, जब तक कोर्ट अपना अन्तिम निर्णय न दे दे।

कृपाशंकर अवस्थी

True-Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

क्रमशः.........2

21

A29

अत: आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उपरोक्त विषय पर अपनापूर्ण ध्यानाकर्षण करेंगे तथा आप अपनी हठवादिता एवं परेशान करने की वृत्ति को छोड़कर मेरे भविष्यनिधि का पूर्ण लेखा -जोखा ।विवरण। देते हुए मुझे मेरे भविष्य-निधि का पैसा भुगतान करने का अविलम्ब प्रबन्ध करेंगे, जिससे मेरे आगामी कार्यों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ पाये, कोई अन्य बाधा न आ पाये तथा मैं और अधिक परेशान होने से बच सकूँ एवं रेल भी और अधिक क्षति के दावे से बच सके ।

यह मेरी ओर से आपके लिए एक नोटिस है, जिसका समय भी मात्र एक महीना है । यदि इतने दिनों में आपके द्वारा मेरे उपरोक्त विषय पर तथा अन्य सम्बन्धित परेशानियों पर ध्यान न दिया गया, तो फिर मैं इसे निर्णय हेतु न्यायालय में ले जाने के लिए बाध्य होऊँगा । फिर श्री हाल अभी सम्बन्धित अधिकारी श्री पी0एल0 आनन्द जी का भविष्यनिधि का पूर्ण पैसा एवं ग्रेच्युटी आदि तो तुरन्त रोक ही दिया जाय एवं इसकी सूचना भी मुझे अविलम्ब दी जाय, क्योंकि ये क्वार्टर के लिए व्यर्थ ही मेरे पीछे पड़े हैं, जो कि अत्यन्त अनुचित है । तदुपरान्त अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का भविष्यनिधि का पूर्ण पैसा एवं ग्रेच्युटी आदि रोक दिया जाय एवं यह तब तक के लिए रोक रखा जाय, जब तक न्यायालय अपना अन्तिम निर्णय नहीं दे देता है । अति दया होगी । आपके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा ।

सधन्यवाद ।

आपका विश्वासनीय :-

दिनांक: मई, 4, 1988

।कृपा शंकर अवस्थी।
स्टेशन मास्टर।मौंटा।
मु0-ब्रम्हावर्त, पो0- बिठूर,
जिला- कानपुर ।यू0पी0।

निम्नलिखित प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ, उचित एवं शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं :-

1- श्रीमान् सहायक अभियन्ता, पूर्वोत्तर रेलवे, फतेहगढ़ ।
2- श्रीमान् मण्डल अभियन्ता, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
3- श्रीमान् मण्डल रेल प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर ।
4- श्रीमान् महाप्रबन्धक।कार्मिक।, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
5- श्रीमान् महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
6- श्रीमान् लेबर इन्फोर्समेन्ट आफिसर ।सेन्ट्रल। कानपुर/बरेली ।
7- श्रीमान् महामंत्री मजदूर यूनियन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
8- श्रीमान् अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली एवं ।
9- श्रीमान् रेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

दिनांक: मई 4, 1988

। कृपा शंकर अवस्थी ।
स्टेशन मास्टर।मौंटा।
मु0-ब्रम्हावर्त, पो0-बिठूर,
जिला-कानपुर ।यू0पी0।

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv

Annexure No. 9 (22)

(A24)

सेवा में

श्रीमान् न्यायालय सहायक,
न्यायालय राज्य-सम्पत्ति अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर।

विषय :- बहिष्कार धारा मुकदमा सं० 22/87

महोदय,

निवेदन के साथ में आपका ध्यान कुछ तथ्यों की ओर आकर्षित कर रहा हूँ, जो निम्न हैं :-

1- यह कि उपरोक्त मुकदमे में मैं अपने खर्चे से दिनांक 4/4/88 को समय पर उपस्थित हुआ। मुझे सन् 1984 से कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है, यहाँ तक कि मेरा पूरा भविष्य निधि भी रुका पड़ा है। न्यायालय जाने के लिये भाड़ा एवं अन्य व्यय न भेजकर मुझे इस तरह से बुलाया जाना कितना अनुचित एवं गलत है?

2- यह कि सन् 1984 से मेरा सुविधा पास भी नहीं दिया जा रहा है। उसके लिये यह कहा गया था कि पहले मैं पास फार्म पर रिटायर्ड स्टेशन मास्टर लिखूँ, तब ही सुविधा पास मुझे प्राप्त हो सकेगा। यह कितना अनुचित था? जबकि मैं रिटायरमेंट पर गया ही नहीं था तथा उस समय मैं अस्वस्थ था एवं रेलवे डाक्टर से मेरा उपचार चल रहा था। मैं ड्यूटी भी नहीं ज्वाइन की थी एवं स्टेशन का प्रापर चार्ज आदि भी नहीं दिया था, इसलिये रिटायर्ड स्टेशन मास्टर लिखाने का मेरा कोई औचित्य नहीं था। मैं आज भी रिटायर नहीं हुआ हूँ तथा मेरा मुकदमा उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसीलिये अभी तक मेरा सुविधा पास नहीं दिया जा रहा है। मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मेरा अपना ही खर्च व्यय करना पड़ता है।

3- यह कि दिनांक 4-4-88 को मुझे न्यायालय बुलाया गया तथा मैं न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु न्यायालय नहीं लगा अतः मेरी दौड़ एवं सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ ही रहा, जिससे मुझे विशेष कष्ट हुआ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मुझसे कोर्ट में यह कहा गया था कि मुझे अगली तारीख सहायक अभियन्ता फतेहगढ़ के माध्यम से प्राप्त हो जायेगी, परन्तु यह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। यह अच्छा ही हुआ कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हो पाई और फिलहाल मैं इस परेशानी से बच गया। आपसे अनुरोध है कि अब जब भी न्यायालय लगे उसी दिन मुझे बुलाया जाय अन्यथा नहीं तथा साथ में मुझे विशेष सुविधा पास एवं बाहर का अन्य खर्च भी भेजा जाय, जिससे मैं न्यायालय में समय से उपस्थित हो सकूँ।

4- यह कि ~~मुझे~~ मुकदमे की जो तारीख दी जाय, उसको काफी पहले भेजा जाय तथा यह भी बताया जाय कि यह मुकदमा किस सम्बन्ध में है तथा यह भी बताया जाय कि ~~इसमें~~ इसमें किसी वकील की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। क्या डाकुमेण्टरी प्रूफ से काम चल जायेगा?

5- यह कि मैं अधिकांशतः अस्वस्थ रहता हूँ। क्या मेरा वहाँ पहुँचना आवश्यक है अथवा मुझसे डाकुमेण्टरी प्रूफ मंगवाकर काम निकल सकता है। यह मुकदमे की तारीख तय हो जाने पर, उसे भेजने के साथ मुझे सूचित करेंगे।

अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि आप उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना पूरा ध्यानाकर्षण करेंगे एवं उसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे तथा मुझे उपरोक्त आवश्यक जानकारी देते हुये मुकदमे की तारीख भेजेंगे, जिसके साथ विशेष सुविधा पास एवं अन्य खर्च भी भेजने का कष्ट करेंगे अथवा डाकुमेण्टरी प्रूफ ही मंगवायेंगे और उसपर उचित कार्यवाही करके मुझे सन्तुष्ट करेंगे। अति कृपा होगी। आपके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिये मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

सधन्यवाद,

दिनांक : मई 21, 1988.

आपका विश्वासपात्र :-
(कृपा शंकर अवस्थी)

कृपाशंकर अवस्थी

True copy
Attested
Atul Keerti
Advo.

Annexure No.-10

(25)

A-30

प्रेषक,

कृपा शंकर अवस्थी (स्टेशन मास्टर)
क्वार्टर नम्बर टी/2-बी, ब्रह्मावर्त (बिठूर)
कानपुर (नगर)

सेवा में

1- ~~[illegible]~~ मण्डल कार्मिक अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

2- मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

3- मण्डल लेखाधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर। दिनांक 18-6-88

विषय:- भविष्य निधि खाते की राशि से भुगतान कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सन्दर्भित विषय पर हस्ताक्षरकर्ता ने अपने भविष्य निधि लेखा ~~खाता~~ संख्या 200840 में जमा कुल राशि से 50 प्रतिशत धन का भुगतान किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर उसको अवगत कराया गया कि भुगतान हेतु ~~आपके प्रार्थना पत्र को~~ सम्बन्धित विभाग में भेज दिया गया है, परन्तु डेढ़ माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी अबतक उसको धन का भुगतान प्राप्त नहीं कराया गया है। लम्बी अवधि से उसको व्यवहारिक तौर पर काम करने की अनुमति न दिए जाने के कारण वेतन के रूप में कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः अपनी व अपने आश्रितजन की जीविका चलाना कठिन हो गया है। इस आर्थिक कठिनाई के ध्यान में रखते हुए उसको आवासीय क्वार्टर से जबरन निकालने का भी नोटिस दे दिया गया है, जिसके कारण मानसिक उत्पीड़न का होना स्वाभाविक हो गया है, अतः आपसे पुनः इस आवेदन पत्र द्वारा माँग की जाती है कि उसको उसके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि से तत्काल 50 प्रतिशत धन का भुगतान कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

भवदीय,
कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

Annexure No.-11

(24)

(A31)

रजिस्टर्ड ए०डी०

प्रेषक,

कृपा शंकर अवस्थी,
स्टेशन मास्टर,
क्वार्टर नं० टी/2 बी,
कुम्हारवी, पूर्वोत्तर रेलवे,
डा०-बिठूर जि०-कानपुर (नगर)।

सेवा में,

1- श्रीमान बेदखली अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

2- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक [illegible],
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

3- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक (लेखा),
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

4- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

5- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर।

6- श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक),
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

7- श्रीमान महाप्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

8- श्रीमान [illegible] अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड,
नई दिल्ली।

9- श्रीमान रेल मंत्री, भारत सरकार,
नई दिल्ली, [illegible]

10- श्रीमान महामंत्री, मजदूर यूनियन,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:- बेदखली आफीसर के पत्र सं० ई०कू०/530/67/इज्ज०-1/1369 दिनांक 13-6-88 के द्वारा अनधिकृत आवास दिखाकर रेलवे आवास से बेदखल किये जाने के प्रयास किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु एतद्प्रार्थनापत्र।

- -

महोदय,

सम्बन्धित विषय पर हस्ताक्षरकर्ता ने कईबार आवास के लिए पत्रों की कि उसके पास कोई अपना निजी आवास नहीं है। यदि इसको भविष्य निधि का पैसा मिल जाता है तो फिर वह आवास बनाने हेतु प्रयास कर सकेगा। रेलवे के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कई बार भविष्यनिधि के भुगतान हेतु आश्वासन दिये गए, जो अभी तक सब मात्र आश्वासन ही सिद्ध हुए हैं। भविष्य निधि से सम्बन्धित मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) इज्जतनगर के प्रमुख पत्र सं० का/[illegible]/भवि-85/7 (अवस्थी) दिनांक 4-12-85 एवं सं० का/[illegible]/भवि-85/7 (अवस्थी) दि० 16-5-88 एवं उनके पृथक प्रार्थना पत्रों दि० 1-9-87, 29-9-87, 29-10-87, 20-2-88, 29-2-88, 26-5-88, 4-5-88, एवं 18-6-88 को मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) इज्जतनगर एवं

क्रमशः ——

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किए गए एवं पेड टेलीग्राम दि० 11-11-87 को महाप्रबन्धक गोरखपुर को तथा दि० 22-4-88 को मण्डल रेल प्रबन्धक इज्जतनगर को प्रेषित किए गए । इतना होने पर भी किसी अधिकारी को इन्सान की कोई विचार न हुई कि उसका एवं उसके परिवार वालों का क्या होगा ? मात्र चिन्ता हुई कि रेलवे आवास कैसे खाली कराया जाय ? जबकि उसके खाली कराने की कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस क्वार्टर का कोई क्लास -3 परिचालन का अलॉटमेंट ही नहीं है । इसके रिक्त हो जाने पर यह खाली ही पड़ा रहता । किन्तु रेन्ट उससे मिल रहा है, जो राष्ट्र हित में है । सच पूछिये तो, जो रेन्ट प्राप्त होने का विरोधी है, वह राष्ट्र विरोधी है तथा देश द्रोही है, क्यों न उसके उस अधिकारी के साथ देशद्रोही का मुकदमा चलाया जावे । अब रही बात कि सन 1979 में जबरन अनाधिकृत रूप से घुस आने की, जैसा कि मण्डल रेल प्रबन्धक (संरक्षा) इज्जतनगर के पत्र सं० -टी/272/क्वा/पीआर टी/85 दिनांक 19-10-81 एवं स्टेशन मास्टर कुम्हारवाँ के पत्र सं० शून्य दिनांक 7-5-86 में दिया है । जबकि उसने स्पष्टीकरण दिया है कि वह जबरन अवैध अनाधिकृत रूप से चोर, डाकू या प्राइवेट आदमी की भाँति नहीं घुस आया है । देखिए मण्डल रेल प्रबन्धक (संरक्षा) इज्जतनगर के पत्र सं० टी/272/क्वा/संरक्षा-कुम्हारवाँ/81 दिनांक 17-8-81 एवं टी/272/क्वा०/कुम्हारवाँ/80 दिनांक 13-10-81, जो यह स्पष्ट करते हैं कि यह क्वार्टर पुनः उसके नाम एलाट किया गया है, जबकि यह उसके नाम पहले से एलाट था। यह सब मात्र इसलिए किया गया है, क्योंकि इस क्वार्टर का कोई क्लेमेन्ट नहीं है । एवं जो उसके खाली करने के बाद खाली ही पड़ा रहता । जो उसके प्रार्थना पत्र दि० 30-11-85 एवं 8-5-86 से पूर्णतया स्पष्ट है । बाद में भी अनाधिकृत रूप से रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि उसका नार्मल क्वार्टर रेन्ट नवम्बर सन 1984 तक काटा गया है । यदि वह प्राइवेट आदमी था एवं सन 1979 में घुस आया था, तो उसको क्यों घुस आने दिया गया था तथा स्टेशन मास्टर ने क्या रिपोर्ट भेजी अथवा क्या कार्यवाही की ? और फिर नवम्बर सन 1984 तक उसका प्रोपर रेन्ट कैसे काटा गया ? इसके बाद स्वेच्छा सेवानिवृत्त स्वीकृत दिखाया गया, जब कि वह सिक में था एवं उपचार करा रहा था । स्वेच्छा सेवानिवृत्त उसको नहीं प्राप्त कराया गया था । उसको बाद में मण्डल रेल प्रबन्धक (संरक्षा) इज्जतनगर के पत्र सं० टी/272/क्वा०/पीआरटी/85 दिनांक 18-10-85 द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 9-11-84 को स्वेच्छा सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो उसको दिनांक 22-11-85 को प्राप्त कराया गया । तब उसने अपने प्रार्थना पत्रों दिनांक 30-11-85, 31-12-85, 8-5-86, 30-11-86, द्वारा यह स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वास्तव उसका स्वेच्छा सेवानिवृत्त स्वीकृत हो चुका है ? मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) इज्जतनगर के पत्र सं० ई/पीसी/आरवी/स०स्टे०मा०/81 दिनांक 9-12-86 से स्पष्ट हुआ कि वास्तव में उसका स्वेच्छा सेवा निवृत्त स्वीकृत किया गया है, परन्तु वह कानूनन गलत था, क्योंकि वह उस समय सिक में चल रहा था / उसने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की थी । जब वह ड्यूटी रिज्यूम करता, तब उसको स्वेच्छा सेवानिवृत्त रिलीज कराया जाता तथा उसके शर्तों के अनुसार उसको पहले 180 दिन के सी०आर०ई० पर भेजा जाता। ~~सकता था~~, इसके बाद यदि कोई और शर्त न होती, तो उसको तब स्वेच्छा सेवा निवृत्त पर

क्रमशः------3

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

286

1433

लिया जा सकता था, परन्तु यहाँ उनसे नोटिस टाइम यानी तीन माह के अन्दर स्वेच्छा सेवानिवृत्त वापस मांगा है जो नहीं दिया गया। देखिए उनके प्रथम प्रार्थना पत्र दि० 5-11-84, 19-11-84 रेलवे बोर्ड का सर्कुलर सं० ई(पी एण्ड ए)1/1/79/आरटी/46 दिनांक 19-1-80 12-9-80 एवं सं० ई(पी एण्ड ए)1-81/आर टी/4, दिनांक 1-6-81 सं० ई(पी एण्ड ए)11-83/आर टी/11 दिनांक 3-11-83 से स्पष्ट है कि नोटिस टाइम के अन्दर स्वेच्छा सेवा निवृत्त वापस लिया जा सकता है, चाहे वह स्वीकृत हुआ हो अथवा न हुआ हो। जब मामला [illegible] है स्वेच्छा सेवानिवृत्त स्वीकृत हुआ तो यह न्यायालय का मामला बना, जो आज न्यायालय में है। जब तक अन्तिम निर्णय न हो जावे, तब तक न उनको प्राइवेट आदमी ही माना जा सकता है और न उनसे आवास छीनने का कोई औचित्य ही है। पहले उनके आवास का प्रबन्ध कर दीजिए, तब उनका रेलवे आवास छीनने का प्रयास कीजिए। यदि आप उनसे जबरन आवास छीनने का प्रयास करेंगे, तो क्या वह फुटपाथ पर होगा? यदि वह फुटपाथ पर न रह सका, तो क्या वह डाकू या लुटेरा बनेगा? फिर उसके भविष्य का क्या होगा? तथा उसके [illegible] क्या होंगे? एवं उनके क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे? अभी तक मामला न्यायालय में होने के कारण ही वह स्थिति से अलग नहीं हुआ है, जो रेलवे मानती है, परन्तु फिर भी वह रेलवे आवास के छुड़ाने के पीछे इस प्रकार पड़ी है कि जैसे वह प्राइवेट आदमी हो। परन्तु खेद इस बात का है कि रेलवे आवास के लिए भी सम्बन्धित अधिकारी उसका ही भविष्य निधि क्यों रोके पड़ा है? जिससे आवास की सुविधा प्रदान की जा सके। अतएव आप कृपया उनको भविष्य निधि के पैसे का पूर्ण भुगतान कर दीजिए तथा आवास बनवाने के लिए भी कुछ समय दीजिए, जो लगभग 6 माह का हो अथवा न्यायालय में पड़े मामले के अन्तिम निर्णय तक प्रतीक्षा कीजिए? उसने न्यायालय को प्रार्थना पत्र दि० 14-5-88 को जल्दी निर्णय हेतु प्रस्तुत की है। इस छुट्टियों के बाद सुनवाई से निर्णय का पता चल जायेगा, फिर जैसा निर्णय में होगा, वैसा ही कीजिए, परन्तु अभी हरहालत में आवास के लिए समय तो देना ही होगा। यदि उनकी यह प्रार्थना नहीं मानी जाती है, तो फिर मामला भी निर्णय न्यायालय से ही हो सकेगा, जिससे रेलवे आवास खाली होने में और अधिक विलम्ब होगा।

अतः आपसे विशेष अनुरोध एवं निवेदन है कि आप उपरोक्त विषय पर अपना पूर्ण ध्यानाकर्षित करें तथा भविष्य निधि का पूर्ण भुगतान करने का कष्ट करें तथा रेलवे आवास खाली करने का कम से कम 6 माह का समय अवश्य दें, जिससे उसका अपना निजी आवास बन सके।

धन्यवाद।

दिनांक 21-6-88

भवदीय,
कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv

Annexure No.-12

27

A34

नोटिस-रजि0 एडी0

25-7-88

नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी

सेवामें,

1- महाप्रबन्धक,
रेलवे प्रशासन । भारत महासंघ ।
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।

2- मण्डल रेलवे प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर, बरेली ।

3- मण्डल लेखाधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर बरेली ।

विषय:- भविष्यनिधि खाता संख्या 220840 में जमा धनराशि का अन्तिम भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

हमारे आदेशक, कृपाशंकर अवस्थी पुत्र स्वर्गीय राजनाथ अवस्थी निवासी ब्रम्हावर्त, । बिठूर । कानपुर नगर जो कि रेलवे प्रशासन की सेवाओं में स्टेशन मास्टर के पद पर हैं, के आदेशानुसार आपको निम्नलिखित नोटिस दी जाती है :-

1- यहकि मेरा आदेशक उक्त पद पर स्थायी रूप से सेवारत है, के वेतन से विभागीय नियमों के अनुसार उक्त खाते में अंशदान की कटौती कर धन जमा किया गया है, जिस पर आपका पूर्ण नियन्त्रण है ।

2- यहकि मेरे आदेशक द्वारा वेतन आदि का भुगतान रोक लिए जाने के कारण उसके समक्ष गम्भीर आर्थिक संकट स्वयं तथा आश्रितजन का भरण-पोषण करने के लिए उत्पन्न हो गया है, क्योंकि रेलवे प्रशासन की सेवाओं के अतिरिक्त भरण-पोषण का अन्य कोई विकल्प नहीं है, फिर भी मेरे आदेशक द्वारा उक्त खाते में जो धनराशि जमा की गयी है, का उसके द्वारा दिनांक 1-9-87 को प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के बाद भी धन का भुगतान नहीं किया गया है ।

3- यहकि मेरे आदेशक का विभिन्न मदों में देय वैधानिक धन का भी अब तक भुगतान न करके आर्थिक शोषण किया गया है, जिसके कारण वह मानसिक तौर पर गम्भीर रूप से चिन्तित एवं उत्पीड़ित है ।

4- यहकि मानसिक तौर पर उत्पीड़ित तथा आर्थिक तौर पर शोषित करने के लिए आदेशक के अर्जित वेतन तक से जो अनुचित कटौतियां की गयी हैं, के धन का भी

कृ0पृ0उ0------

कृपाशंकर अवस्थी

True Copy
Attested
Atul Keerti
Adv.

(28)

A3.5

बअदालत श्रीमान In the Central Administrative Tribunal Circuit Bench Lucknow महोदय

वादी (मुद्दई)
मुद्दई (मुद्दालेह)

का

वकालतनामा

Kripa Shanker Awasthi
Vs
Union of India & Ors.

वादी (मुद्दई)

बनाम

प्रतिवादी (मुद्दालेह)

ATUL KEERTI (Advocate) एडवोकेट महोदय
426, Rajendra Nagar, Lucknow 226004 वकील
Zishan Ahmad Advocate

को अपना वकील नियुक्त करके (इकरार) करता हूँ और लिखे देता हूँ इस मुकद्दमा में बकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाबदेही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें। वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मै यह भी स्वीकार करता हूँ कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूँगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर कृपाशंकर अवस्थी

Accepted
Atul Keerti
Adv.

साक्षी (गवाह)........ साक्षी (गवाह)........

Accepted

दिनांक 12 महीना 1/89

[signature] Adv.

नाम अदालत ....
नं० मुकद्दमा ....
नाम फरीकैन ....

A-36

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,

CIRCUIT BENCH, LUCKNOW.

Registration (O.A.) No. 5 of 1989(L)

Kirpa Shanakar Awasthi............Applicant.

versus

Union of India and others ....Respondents.

Fixed For : 10.11.89

COUNTER REPLY ON BEHALF OF ALL THE RESPONDENTS

I, S.D. Rajput working as APO in the office of Divisional Railway Manager, Northern Eastern Railway, Izatnagar, Bareilly do hereby solemnly affirm and state as under -

1. That the official abovenamed is working under the respondents and is fully conversant with the facts and circumstances of the Applicant's case and has been authorised by the respondents to file this counter reply on their behalf -

.......2

Assistant Personnel Officer
N.E. Railway, Izatnagar

A37

2. That before giving parawise reply to the contents of this application, the answering respondents is stating the brief facts of the case as follows -

3. That the applicant Sri Kirpa Shanakar Awasthi, Ex. A.S.M., Pauta, on his own request was valuntary retired from service with effect from 9.11.84 (F.N.) as per memo No.ई/161/परि/सस्टेभा/कैंoमिo/11 dated 30.10.84. Accordingly settlement forms, for settlement of his post retirement benefits, were duly sent to him through Welfare Inspector at Pauta but he was not found at Pauta. He was reported to be at Brahmavart (Kanpur). Sri V.N. Trivedi, Welfare Inspector again visited Brahamvart to assist the applicant in filling the said settlement forms on 17.12.85 but the applicant flatly refused to fill in the said forms on plea that he has already filed a case before the Labour Court at Kanpur.

4. That the applicant also prefered a Registration (O.A.) No. 597 of 1986 before

......3

Assistant Personnel Officer
N. E. Railway, Izatnagar

this Tribunal at Allahabad, against the order of his valuntary retirement, which was subsequently dismissed on 27.5.87 by this Hon'ble Tribunal consisting of Hon'ble D.S. Misra, A.M. and Hon'ble G.S. Sharma, J.M.

5. That after dismissal of the a foresaid application Registration (O.A.) No.597 of 1986 of the applicant, another set of settlement forms were sent to the applicant by the Registered Post on the address C/o Station Master, Brahmavart, P.O.-Bithoor, Kanpur on 31.3.88 but the applicant did not care to submit the duly filled settlement forms in the office till date.

6. That it may also be stated here that the amount of final settlement of Provident Fund has already been arranged through Cheque No. 001841/DO (") 92002 dated 17.10.88 for Rs. 18,892/= on R B I/ Kanpur. The same was duly despatched to the applicant by

.....4

Assistant Personnel Officer
N. E Railway, Izatnagar

Registered Post vide postal receipt No. 450 dated 31.10.88.

7. That the contents of the paras 1 and 2 of the application do not call for reply.

8. That the contents of para 3 of the application is not admitted as stated. The amount alleged is highly excessive besides the Government dues of more than Rs17,480/- is already outstanding against him.

9- That the contents of the paras 4 and 5 of the application do not call for reply.

10. That the contents of para 6 (A) of the application is not admitted as stated. As per records, the applicant was never promoted as Station Master. The applicant was promoted as A.S.M. in scale Rs. 455-700 from the post of A.S.M. in scale Rs- 425-640 with effect from 1.8.82 and he worked on the same post till the date of his retirement.

N. E. Railway, Lalmagar

........5

11. That the contents of para 6 (B) of the application is categorically denied. The applicant was never subjected to any mental torture as alleged. Transfer is also not a torture, however the applicant be put to strict proof for the allegations made in this para. It may here be clarified that the applicant was voluntary retired only on his own request.

12. That the contents of para 6 (C) of the application is categorically denied. The applicant was never removed from service as alleged but on his own request he was valuntary retired with effectfrom 9.11.84 (F.N.). Against the said retirement order the applicants prefered a writ petition before the Hon'ble High Court Bench at Lucknow. During the pendency of the aforesaid writ petition the applicant prefered yet another petition Registration (O.A.) No. 597 of 1986, before this Hon'ble Tribunal at Allahabad, concealing the fact that he has earlier filed a writ petition which is still pending.

......6

Assistant Personnel Officer
N. E. Railway, Lucknow

However the said application was finally dismissed on 17.5.87. Meanwhile the said writ petition was also transferred to this Hon'ble Tribunal and Registered as T.A. No. 1896 of 1987 (T) which is still pending but since the same matter has already been adjudicated upon in the previous application No. 597 of 1986, hence the said application No. T.A. 1896 of 1987 is not maintainable being barred by res-judicata.

13. That the contents of para 6 (D) of the application is not admitted as stated. The correct position has already been explained in paras 3 to 5 of this reply. Since the applicant did not care to submit his settlement dues forms duly filled hence his settlement dues could not be cleared.

14. That in reply to the contents of the para 6 (E) of the application it is stated that the final settlement of provident fund has already been arranged through cheque No. 001841/

......7

Assistant Personnel Officer
N.E. Rly

DO 92002, dated 17.10.88 for Rs.18,892/- on R B I/Kanpur and the same was duly despatched to the applicant by Registered Post vide postal receipt No. 450 dated 31.10.88.

15. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal an adcount of settlement dues which are payable to the applicant are as under:-

(a) Pension =Rs.371/-P.M. plus dearness relief admissible from time to time.

(b) DCRG. =Rs.12441/-

(c) Pension Commutation =Rs.15062.40

(d) Group Insurance =Rs. 518/-

(e) Leave Encashment = NIL (No.balance of LAP at his credit.)

16. That a statement of Government dues which is outstanding against the applicant and which are to be realised from the applicant are as under -

(a) Commercial Debits =Rs. 1381.20

......8

Assistant Personnel Officer
... Railway, Izatnagar

(b) Excess payment of salary due to regularisation of leave/sick during the period from March to August'84. =Rs. 8333.80

(c) Productive Linked Bonus for the year 1980 to 1984 on account of excess payment =Rs. 730.00

(d) Difference of enhanced rate of quarter rent from time to time upto 8.11.84 =Rs. 876.30

(e) Panel rent from 9.11.84 to 30.9.89 (since Railway quarter was not vacated after retirement.) =Rs. 6158.30

(f) Panel rent recovery due from 1.10.89 till vacation

Assistant Personnel Officer
N. E. Railway, Izatnagar

of Railway quarter = to be calculated.

~~Lucknow~~ : Barelly

Dated : 9/11/89

Sd/- 9/11/89

N. E. Railway, Izatnagar

VERIFICATION

I, the official abovenamed do hereby verify that the contents of para 1 of this reply is true to my personal knowledge and those of paras 2 to 16 of this reply are believed by me to be true on the basis on records and legal advice.

~~Lucknow~~ : Bareilly

Dated : 9/11/89

Sd/- 9/11/89

N. E. Railway, Izatnagar

Before the Central Administrative Tribunal,

Lucknow

Registration (G.A.) No. 5 of 1989

******

1991
AFFIDAVIT
58
HIGH COURT
ALLAHABAD

Kripa Shanker Awasthi ... Applicant

Versus

Union of India and others ... Respondents.

Rejoinder Affidavit on behalf of the applicant.

I, Kripa Shanker Awasthi, aged about 57 years son of late Raj Nath Awasthi, residing at present with Ramesh Chandra Tripathi, house No. 296 Rajendra Nagar, Lucknow do hereby solemnly affirm and state on oath as under :-

1. That the deponent is the applicant in the above noted petition and he is fully conversant with the facts of the case and the facts hereinafter deposed.

2. That the deponent has been read over and explained the contents of the affidavit under reply which he has understood.

3. That the contents of para-1 of the counter affidavit needs no reply except the fact that Sri S.D.Rajpal who verified the affidavit under reply is neither acquainted with the facts nor he is autnorised person. The deponent has not arrayed A.P.O. as party who deals with the establishment matters and not the Accounts matter.

4. That the contents of para-2 of the counter affidavit require no comments.

5. That in reply to para-3 it is submitted that the deponent was initially appointed as A.S.M. in the year 1958 . He was promoted to this post of S.M. on account of his being senior, completed with efficiency , solid work sincerity and honesty. Further to add that he was

दुर्गाशंकर अवस्थी

A47

never coomunicated an adverse entry. In short it it is submitted that the deponent's work was above average. The deponent ~~was not at all~~ ... while working as Station Master at Panta. a docity was committed and the deponent bravely faced them with the result that the dacoits became very very much annoyed with the deponent, and and every time the deponent had been receiving threatening letters so the deponent wanted transfer but with no effects. Hence the deponent sought for other reliefs again with no effects. Hence the deponent wrote a letter dated 9.8.1984 requesting the authorities concernedto allow him to avail the compensatory rest of 180 days, prior to his proceeding on voluntary retirement. He was not given. He withdraw his letter for voluntary retirement within a period of three months and hence question of its acceptance did not arise. The deponent has challenged the aforesaid illegal acceptance on the part of the

Oath ... High Court

हरिशंकर श्रीवास्तव

railway administration which is pending . Hence the contents are denied. Hence the alleged x letter is illegal and in valid. It is wrong to say that allied forms etc. were sent. It is further submitted that pension papers were sent vide letter No.Ka/Sama/Pen-65/ 7(Awasthi) dated 17.12.1985 the photostate copy of which is marked as Annexure-R-A-1.

6. That in reply to para-4 it is submitted that the application was not ever admitted x as it was treated as barred by limitation. It was not even touched on merits. Hence the contents are denied in the way they have been said.

7. That the contents of para-5 of the counter affidavit being wrong and false are denied.

8. That the contents of para-6 of the counter affidavit are denied except that the

deponent received a cheque of Rs.18,892/- but the opp-parties supply the details of account. It is further submitted that the deponent received the same after filing of the present application

9. That the contents of para-7 needs no reply as the opp-parties have not denied the facts given in para-1 and 2 of the application which are reiterated.

10. That the contents of para-9 being false are denied. It is submitted that no amount is due against the deponent. Further to submit that the opp-parties have not paid the fund etc.

11. That the contents of para-9(as said in counter affidavit) of the counter affidavit needs no reply as the contents of para-4 and 5 have not been denied which are reiterated.

12. That the contents of para-10 are denied.

13. That the contents of para-11 of the counter affidavit are denied.

14. That the contents of para-12 of the counter affidavit are denied. except the fact that the deponent preferred writ petition which is pending in this Hon'ble Tribunal.

15. That the contents of para-13 of the counter affidavit are denied.

16. That the contents of para-14 of the counter affidavit are denied.

17. That the contents of para-15 of th counter affidavit are denied as the deponent has alleged that he is still in service.

18. That the contents of para-16 of counter affidavit are denied. The opp-parties have wrongly written the amount.

19. That the application of the applicant is ~~xxxxx~~ full of merits and is

liable to be allowed.

Lucknow dated:

23-4-1991

कृपाशंकर अवस्थी
Deponent

Verification.

I, the deponent named above do hereby verify that the contents of paras nos. 1 to 18 are true to my own knowledge while paras nos. 19 are believed to be true as per legal advice received. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me God.

Lucknow dated:

23-4, 1991

कृपाशंकर अवस्थी
Deponent

I identify the deponent who has signed this affidavit before me.

Atul Keerti
Advocate

Solemnly affirmed before me on 23.4.91 at 11.30 a.m/pm by the deponent Kripa Shanker Awasthi who is identified by Sri Atul Keerti Advocate High Court, Lucknow.
I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which havebeen read over and explained to him by me.

Km. P. V. JAISWAL
Advocate
Oath Commissioner
Allahabad High Court
Lucknow Bench Lucknow
No. 58/22 Date 23.4.91

N. E. RAILWAY Regd A.D

RB-GL-14

क/सम/पें-55/7(अवध) दिनांक (Dated) 17-12-85

से (From) मंडल रेल प्रबंधक (का) इज्जतनगर

सेवा में (To) श्री कृपाशंकर अवस्थी
से.नि. टिकट.
रेल आवास संख्या T/2 13
[illegible], कानपुर (उ.प्र.)

विषय (Sub.) पेंशन एवं पेंशन के फार्म।

पत्रांक (Ref.)

संलग्न पेंशन कि निमयक भुगतान के फार्मों का एक सेट भेजा जा रहा है जिन्हें भर कर 4 प्रतियों पत्नी के [illegible] भेजें। बैंक अथवा डाकखाना जहाँ से भी आप पेंशन लेना चाहते हैं निजी खाता से भी दें।

फार्मों के भरवाने में आप हित निरीक्षक, श्री [illegible] कार्यालय खण्ड से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

सं. एक सेट

17/12/85
कृते मं. रे. प्र. (का)
इज्जतनगर

कृपाशंकर अवस्थी

Attested as true copy
[illegible signature]
Adv

Oath Commissioner, High Court

A53

सेवा में,

1- श्रीमान मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर एवं

2- श्रीमान महाप्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।

विषय :- अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने तथा उससे जो क्षति हुई, उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति का दावा किए जाने की याचिका ।

संदर्भ :- मेरा प्रार्थना पत्र दिनांक 18 जून, 1989

महोदय,

निवेदन के साथ में आपका ध्यान उपरोक्त प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित कर रहा हूँ, जो आपको रजिस्ट्री ए0/डी0 द्वारा भेजा गया था । जिसका विषय उपरोक्त जैसा था, जो प्रारूप के साथ था, जिसमें यह याचना की गयी थी कि आप मेरे भविष्य-निधि का पूरा लेखा जोखा भेजिए तथा यह भी बताइए कि कितना धन भुगतान के लिए शेष पड़ा हुआ है, उसे तुरन्त भुगतान कर दीजिए, परन्तु आपकी ओर से कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया, जिससे मैं परिणाम से अवगत हो पाता । यह भी एक चिन्ता का विषय बन गया है । भविष्य-निधि का धन क्वार्टर के भुगतान हेतु नहीं रोका जा सकता है । इसके लिए मात्र ग्रेच्युटी ही रोकी जा सकती है, जो फाइनल सिटिलमेन्ट में भुगतान किया जा सकता है । इसलिए मैं पुनः उपरोक्त प्रार्थना पत्र (जो प्रारूप में है) की एक एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ, जिससे अग्रिम कार्यवाही में कोई विलम्ब न हो ।

अतः आपसे विशेष अनुरोध एवं निवेदन है कि आप उपरोक्त विषय पर अपना पूर्ण ध्यान आकर्षित करने का तथा उसपर क्या कार्यवाही की जा रही है ? उसे अविलम्ब अवगत कराने का तथा मेरा शेष धन तुरन्त भुगतान कराने का विशेष कष्ट करेंगे । अति दया होगी ।

सधन्यवाद ।

संलग्नक - प्रार्थना पत्र दि0 18 जून, 1989 की एक प्रतिलिपि ।

दिनांक: अक्टूबर, 22, 1989.

आपका विश्वासनीय:—
कृपाशंकर अवस्थी
(कृपा शंकर अवस्थी)
स्टेशन मास्टर/पोदार,
मु0-[illegible], डा0-[illegible],
जिला- कानपुर [illegible]

कृपाशंकर अवस्थी

Attested as true Copy
Atul Keerti
AG

High Court,

(A54)

सर्टीफिकेट आफ पोस्टिंग

एक लिफाफा श्रीमान आर० एन० सोनी जी,
मण्डल रेल प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर
जिला-बरेली (उ०प्र०)।

एक लिफाफा श्रीमान गौरीशंकर जी सक्सेना,
महाप्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर (उ०प्र०)।

2 (दो) लिफाफे मात्र

Attested as true copy

[illegible]

बीमा नहीं/NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै०
Amount of stamps affixed Rs. P.

क्रमांक/No.

एक रजिस्ट्री* .... प्राप्त किया
Received a Registered* ....

तारीख-मोहर
Date Stamp

पाने वाले का नाम ....
Addressed to ....

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं/NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै०
Amount of stamps affixed Rs. 6 P.

क्रमांक/No.

1813

एक रजिस्ट्री* .... प्राप्त किया
Received a Registered* ....

तारीख-मोहर
Date stamp

पाने वाले का नाम ....
Addressed to ....

पाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

Attested as true copy
Atul Kanti

Filed today
13/7/89 (C)

NS/CCS
64

VAKALATNAMA

Before ~~in the Court of~~ Central Administrative Tribunal, Lucknow
OA 5/89

Plaintiff / ~~Defendant~~ Kripa Shanker Awasthi ~~Claiment~~ Appellant

Versus

Defendant / ~~Plaintiff~~ Union of India ~~Petitioner~~ Respondent

The President of India do hereby appoint and authorise Shri........Anil Srivastava, ...Railway Advocate, Lucknow...to appear, act, apply, plead in and prosecute the above described suit/appeal/proceeding on behalf of the Union of India to file and take back documents, to accept processes of the Court, to appoint and instruct Counsel, Advocate or Pleader, to withdraw and deposit moneys and generally to represent the Union of India in the above described suit/appeal/proceedings and to do all things incidental to such appearing, acting, applying, Pleading and prosecuting for the Union of India SUBJECT NEVERTHELESS to the condition that unless express authority in that behalf has previously been obtained ...n the appropriate Officer of the Government of India, the said Counsel/Advocate/pleader or any ...ounsel, Advocate or Pleader appointed by him shall not withdraw or withdraw from or abandon wholly ...r partly the suit/appeal/claim/defence/proceeding against all or any defendants/respondents/appellant/ ...laintiff/opposite parties or enter into any agreement, settlement, or compromise whereby the suit/appeal/ ...oceeding is/are wholly or partly adjusted or refer all or any matter or matters arising or in dispute therein ...o arbitration PROVIDED THAT in exceptional circumstances when there is not sufficient time to consult ...ich appropriate Officer of the Government of India and an omission to settle or compromise would be ...efinitely prejudicial to the interest of the Government of India and said Pleader/Advocate or Counsel may ...ter into any agreement, settlement or compromise whereby the suit/appeal/proceeding is/are wholly or ... adjusted and in every such case the said Counsel/Advocate/Pleader shall record and communicate ...with to the said officer the special reasons for entering into the agreement, settlement or compromise.

The President hereby agree to ratify all acts done by the aforesaid Shri... Anil Srivastava, ...Railway Advocate, Lucknow. .... in pursuance of this authority.

IN WITNESS WHEREOF these presents are duly executed for and on behalf of the President of India this the ....day of ....198 .

Dated .... April ...1989

NER—84550400—8000—4 7 84

....
Designation of the ~~Executive Officer~~,
~~Divisional~~ Railway Manager
N. E. Railway, Izatnagar
(For UNION OF INDIA)

13-7-89

VAKALATNAMA

NS/CCS
64

Before
In the Court of Central Administrative Tribunal Lucknow

O A No. 5 of 1989

K. S. Awasthi

Versus

Union of India and others

I/We. R. C. Rai Divisional Account Officer

N. E. Railway IZAT NAGAR (Bareilly)

do hereby appoint and authorise Shri ANIL SRIVASTAVA

Railway Advocate Lucknow to appear, act apply and prosecute the above described Writ/Civil Revision/Case/Suit/Applicaion/Appeal on my/our behalf, to file and take back documents, to accept processes of the Court, to deposit moneys and generally to represent myself/ourselves in the above proceeding and to do all things incidental to such appearing, acting, applying, pleading and prosecuting for myself/ourselves.

I/We hereby agree to ratify all acts done by the aforesaid Shri ANIL SRIVASTAVA Railway Advocate, Lucknow in pursuance of this authority.

IN WITNESS WHERE OF these presents are duly executed by me/us this day of July 1989

(R. C. Rai)
DAO/NER/IZATNAGAR

NER—84850400—8000—4 7 84

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL LUCKNOW BENCH LUCKNOW

Review Application No. 515 of 1992

In

Original Application No. 5 of 1989

Kripa Shanker Awasthi . . . . Applicant

Versus

Union of India & others . . . . Respondents

Hon'ble Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C.

Hon'ble Mr. K. Obayya, Member (A)

(Hon'ble Mr. Justice U.C. Srivastava, VC)

This review application is directed against our judgement and order dated 18.5.1992. The case was heard and disposed of after hearing the counsel for the parties. We had earlier considered all the view points and relevant facts on record. As such there is no question of review in our judgement. The scope of review application is limited and does not mean re-hearing or considering of the same argument. There is no error in our judgement much less than error apparent on the face of the record. The review application lacks merit and accordingly, is rejected.

A.M. V.C.

Lucknow dt. 24th July,1992.

(RKA)

Before Central Administrative Tribunal ,

Additional Bench, Lucknow.

Central Administrative Tribunal
Circuit Bench, Lucknow
Date of Filing 18.6.92
Date of Receipt by Post......
Deputy Registrar(J)

Review No. 515/92

Kripa Shankar Awasthi, aged about 58 years, Son of Late Raj Nath Awasthi, resident of C/o. Ramesh Chandra Tripathi house no. 296 , Rajendra Nagar, Lucknow .

... Applicant .

Versus

1. Union of India , through General Manager, North Eastern Railway , Gorakhpur .
2. Divisional Railway Manager, North Eastern Railway, Izzat Nagar, Bareilly.
3. Divisional Account Officer, North Eastern Railway, Izzat Nagar, Bareilly.

... Opp. Parties.

filed today
18/6/92

Review Petition no. 515 of 92.
In.
O.A. No. 5 of 1989.
D/o. 18.5.92.
Received on 28.5.92.

Review Petition against the judgement and order dated 18.5.1992 passed by Hon'ble Mr. Justice U.C. Srivastava, V.C. , and Hon'ble Mr. K. Obbayya ,Member (A), in O.A. No. 5 of 1989 entitled Kripa Shanker Awasthi Vs. Union of India and others.

कृपाशंकर अवस्थी

...2.

The applicant respectfully showeth as under :-

retired~~xxxxxxx~~

1. That the applicant was ~~retired~~/ on 9.11.84 and inspite of his best efforts and reminders he was not paid the retirement benefits , so he filed the above mentioned application with a prayer that he be directed to be paid Rs. 2,20,840/- being compensation on account of non-payment, besides the order for payment of gratuity etc.

2. That the Hon'ble Tribunal held that the opposite parties committed an illegallity in non-payment of provident fund etc. but did not consider for the compensation of the miseries etc. which the applicant had to face on account of non-payment.

It is therefore , most respectfully prayed that the judgement and order dated 18.5.92 be kindly reviewed and order for the payment of compensation be passed alongwith costs-

Lucknow Dated :

June 17 ,1992.

कृपाशंकर अवस्थी

(Kripa Shanker Awasthi)

Applicant.

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, CIRCUIT BENCH LUCKNOW.

....

Registration O.A. No. 5 of 1989

Kripa Shanker Awasthi ... ... Applicant.

Versus

Union of India
and others ... ... Respondents.

&

Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava, V.C.
Hon'ble Mr. K. Obayya, Member (A)

(By Hon. Mr.Justice U.C. Srivastava, V.C.)

By means of this application, the applicant has prayed that the respondents are directed to pay a sum of Rs.2,20,840/-, being pension and compensation on account of non-payment by the General Manager, North Eastern Railway, Gorakhpur. The applicant was appointed as Assistant Station Master in the year 1956 and was promoted to the post of Station Master. The applicant has been retired from service on 9.11.1984 by the authorities concerned and being aggrieved of the same, he preferred a writ petition before the High court of Lucknow Bench praying that he was entitled to get Rs. 1100 as pension and his own contribution provident fund, L.I.C. and gratuity etc amounted to Rs. 80,000/- at the time, the illegal retirement order was passed, and this writ petition by operation of law, has been transferred to this Tribunal and is registered as T.A. No. 1896 of 1987.

2. The respondents have refuted the claim of the applicant and have stated that the applicant was retired from service on 9.11.1984 voluntarily on his own request as per Memo dated 30.10.1984. Accordingly, settlement forms for settlement of his post retirement benefits,

Contd ...2p/-

कृपाशंकर अवस्थी

were duly sent to him through Welfare Inspector at Pauta but he was not found at Pauta. Sri V.N. Trivedi, Welfare Inspector again visited Brahamvart (Kanpur to assist the applicant in filling the said settlement forms on 17.12.1985 but the applicant flatly refused to fill in and said that he has already filed a case before the Labour Court at Kanpur. During the pendency of the writ petition before the High Court of Lucknow Bench, to this effect, the applicant filed O.A.No. 597 of 1986 to this Tribunal concealing the fact that he has earlier filed a writ petition which is still pending. However, the said application is dismissed on 17.5.1987. Meanwhile, the said writ petition was also transferred to this Tribunal and registered as T.A. No. 1896 of 1987 which is still pending but since the same matter has already been adjudicated upon in O.A. No. 597 of 1986, which was dismissed, the said T.A. No. 1896 of 1987 is not maintainable being barred by res-judicata.

3. Accordingly, this application is dismissed and the other connected applications in which certain pensionary benefits have been claimed will be decided seperately. No order as to costs.

Member (A)

Vice-Chairman

Dated: 18.5.1992

(n.u.)

Deputy Registrar
Central Administrative Tribunal
Lucknow Bench,
Lucknow

सत्यापित प्रतिलिपि